an>

Title: Regarding promotion policy for labourers working in Bhilai Steel Plant.

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : अध्यक्ष जी, मेरा शून्यकाल का विषय इस प्रकार से है। भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई की खदानों में काम कर करे आठ से दस हजार श्रमिक अधिकतम वेतनश्रेणी में पहुंच कर एक ही पद नाम से सेल नीति की अवहेलना झेल रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के शिकार हो रहे हैं। जो श्रमिक उच्चतम वेतन ग्रेड में पहुंच गए हैं, उन्हें ई-1 ग्रेड में पुनरीक्षित पदोन्नति दिया जाना आवश्यक है। वर्ष 2010 में नॉन-एग्जियूटिव से एग्जिक्यूटिव बनने के लिए 3600 कर्मियों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 370 श्रमिकों को प्रमोशन दिया गया। नियमानुसार हर दो वर्ष के अंतराल में 10 प्रतिशत श्रमिकों को प्रमोशन का अवसर दिया जाना है। यह प्रक्रिया वर्ष 2008 से रुका हुआ है। अविलंब कर्मचारी हित में आदेश जारी करना आवश्यक है। मैं विभागीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि श्रमिक हित में तत्काल निर्णय ले कर आदेश दें।

माननीय अध्यक्ष : राजीव सातव जी, यह तो स्टेटमेंट है, इसे आप यहां क्यों उठा रहे हैं।